

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
//आदेश//

12 JAN 2016
नया रायपुर, दिनांक 01/2016

क्रमांक-एफ-2-36/2014/सात-2 -:- राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर वेतनमान रुपये 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रुपये 4300 में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 04 में दर्शित स्थान पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-

अनु क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान में पदस्थ जिला	पदोन्नति पश्चात नवीन पदस्थापना जिला
01	02	03	04
1.	श्री अशोक कुमार उपाध्याय	जांजगीर-चांपा	प्राचार्य, पटवारी प्रशिक्षण शाला बिलासपुर
2.	श्री भगवान सिंह ठकुर	मुंगेली	कवर्धा
3.	श्री नंद कुमार खांडे	राजनांदगांव	सरगुजा

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/निर्देशों का पालन किया गया है।

3/ उपरोक्त नायब तहसीलदारों का पदोन्नति आदेश इस शर्त पर जारी किया जा रहा है कि इनके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच नहीं चल रही है या आदेशित नहीं है, और वे निलंबित नहीं है। यदि उपरोक्त सूची में किसी नायब तहसीलदार के विरुद्ध विभागीय जाँच चल रही है या आदेशित है या वह निलंबित है तो संबंधित के मामले में पदोन्नति आदेश प्रभाव शून्य माना जावेगा।

4/ संबंधित जिले के कलेक्टर का कर्तव्य होगा कि उपरोक्त पैरा 3 में उल्लेखित स्थिति में संबंधित नायब तहसीलदार को भार मुक्त न करें और तत्काल पूर्ण विवरण के साथ जानकारी राजस्व विभाग को भेजे, ताकि त्वरित कार्यवाही की जा सके।

5/ पदोन्नत नायब तहसीलदार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एफ.के.के.टी.)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक 12 JAN 2016
/01/2016पृ.क्रमांक एफ-2-36/2014/सात-2
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर.
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर.
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर.
4. आयुक्त, बिलासपुर/दुर्ग/सरगुजा संभाग, छत्तीसगढ़.
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर.
6. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर.
7. कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा /मुंगेली /राजनांदगांव /बिलासपुर /कबीरधाम /सरगुजा छत्तीसगढ़.
8. कोषालय अधिकारी, जिला जांजगीर-चांपा /मुंगेली /राजनांदगांव /बिलासपुर /कबीरधाम / सरगुजा छत्तीसगढ़.
9. सर्व संबंधित नायब तहसीलदार (नाम से).....
- ✓ 10. राजस्व विभाग के वेबसाइट cg.nic.in/revenue में अपलोड करने हेतु ।
11. व्यक्तिगत नस्ती/विभागीय जांच पटल/गोपनीय फोल्डर/गार्ड फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग